ए.

कुदरत संधू

वी.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 279)

बी.

21 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा**,** सीजेआई**,** ए**.** एम**.** खानविलकर और डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.** जे**.]**

न्यायाधिकरणःसेवानिवृत्ति की आयु-सी. ई. एस. टी. ए. टी.-सदस्य (न्यायिक)-सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा जबकि अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा।

सी.

न्यायाधिकरणःसेवानिवृत्ति की आयु-ए. एफ. टी.-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य 65 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक पद धारण करेंगे-अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, वे 70 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक पद धारण करेंगे।

डी.

कैटःकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मामले में पुराने नियम/प्रावधान लागू रहते रहेंगे।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 279

ई.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

डब्ल्यू. पी. (ग) सं.
558/2017,561/2017,640/2017,1016/2017,788/2017,925/2017,109

8/2017,1129/2017,33/2018,205/2018,467/2018, T. C. (ग) संख्या 49/2018 और 51/2018।

एफ.

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. ए. जी., अशोक कुमार पांडा, अरविंद पी. दातार, सिद्धार्थ लूथरा, अमरेंद्र शरण, श्रीमती प्रेम लता बंसल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, तेजस्वी कुमार प्रधान, सत्यब्रत पांडा, मनोरंजन पैकराय, अनिरुद्ध पुरुषोत्तम, शाश्वत पांडा, निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, धनंजय बैजल, दिव्यांशु राय, करण बतुरा, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाडिया, अरुण मोंगा, सुश्री दिव्या शर्मा, सुश्री मयूरी रघुवंशी, सुश्री रुचिरा गोयल, मुहम्मद ए. खान, आर. वी. प्रभात, अभिषेक जेबराज, निखिल स्वामी, उमर होदा, ए. के. बेहरा, वी. के. वर्मा, श्रीमती प्रिया हिंगोरानी, कृपा शंकर प्रसाद, रुपेश 956

जी.

एच.

957

कुदरत संधू बनाम भारत संघ और ए. एन. आर.

कुमार, राजीव शर्मा, प्रवेश बहुगुणा, कर्बप्पैया मेयप्पन, आनंद वर्मा, सुश्री शुभांगी जैन, सुश्री मनप्रीत कौर, के. कृष्ण कुमार, अन्नम डी. एन. राव, ए. वेंकटेश, सुदिप्तो सरकार, राहुल मिश्रा, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, आर. बालासुब्रमण्यम, एस. एस. शमशेरी, सुश्री रुखमणि बोबडे, हरीश V.Shekhar, सुश्री श्रद्धा देशमुख, रोहित भट, सुश्री आरती शर्मा, संतोष कुमार। विश्वकर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जी. एस. मक्कर, राज बहादुर यादव, मुकेश कुमार मरोरिया, श्रीमती अनिल कटियार, विष्णु B.Saharya, विरेश बी. सहारिया (मेसर्स सहारिया एंड कंपनी के लिए), जगजीत सिंह छाबड़ा, पुष्पराज सिंह, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, सुश्री।स्मिताक्षी तालुकाध्यक्ष, राहुल जैन, जोहेब हुसैन, अशोक माथुर, अजय वीर सिंह जैन, सुश्री ममता जैन, उदय राम बोकाडिया, सुश्री दिव्या गर्ग, सोनल जैन, अजय बंसल, गौरव यादव, श्रीमती वीणा बंसल, नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता, उज्जवल कुमार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1.20 मार्च के एक आदेश द्वारा

डी.

2018, हमने 9 फरवरी 2018 के पिछले आदेश को स्पष्ट किया था।स्पष्टीकरण का खंड (iii) प्रासंगिक है और निम्नानुसार हैः

“(iii) सभी न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और न्यायिक/प्रशासनिक/विशेषज्ञ/तकनीकी सदस्यों का कार्यकाल पांच साल की अवधि या पुराने अधिनियमों और नियमों के तहत निर्धारित/निर्धारित अधिकतम आयु के लिए होगा।

ई.

16 जुलाई 2018 को, इस न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

“इस मोड़ पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) के संबंध में कुछ भ्रम है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि आई. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा और अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा।”

एफ.

जी.

सी. ई. एस. टी. टी.:

2. 2018 के आई. ए. 113281 में, आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश है, जिसे सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्यायिक) के रूप में चुना गया है। सदस्य (न्यायिक) के रूप में चुने गए छह अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना, जिसमें शामिल हैं -

एच.

ए.

आवेदक, यह निर्धारित करता है कि वे पांच साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, "20 मार्च 2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में" पद धारण करेंगे।न्यायिक सेवा का एक सदस्य सामान्य रूप से सेवा नियमों के अधीन राज्य न्यायिक सेवा में सेवानिवृत्ति की तारीख तक बना रहता।एक व्याख्या को अपनाना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा, जिसके परिणामस्वरूप, सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्यायिक) के रूप में पद ग्रहण करने पर अधिकारी का कार्यकाल होगा जो पांच साल

के बाद समाप्त हो जाएगा, अगर यह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आता है।तदनुसार, हमारा विचार है कि 20 मार्च 2018 के आदेश में आई. टी. ए. टी. के लिए जारी स्पष्टीकरण को सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्यों के मामले में दोहराया जाना चाहिए, जो हम करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा जबकि अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा।

बी.

सी.

एएफटीः

3. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।जो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

डी.

कैटः

4. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मामले में, हम स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम/प्रावधान लागू रहते रहेंगे।

ई.

5. हम केंद्र सरकार को रिक्तियों और चयन प्रक्रिया के चरण सहित प्रत्येक न्यायाधिकरण के संबंध में स्थिति निर्धारित करने के लिए दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हैं।2018 के आई. ए. No.113281 का निपटान तदनुसार किया जाता है।

एफ.

देविका गुजराल आई. ए. का निपटारा कर दिया गया।

जी.

एच.